# न<u>्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड</u> (आप.प्रक.क. :— 575/2014)

(संस्थित दिनांक :- 03 / 07 / 14)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

...... अभियोजन।

## / / विरूद्ध / /

-----

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :— 26/05/2017 को घोषित)

- 01. आरोपी रामस्वरूप पर धारा 34 (01) (क) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :— 23/03/2014 की सुबह लगभग 08:30 बजे अंगसोली बस स्टेण्ड़ के पास सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से 17 क्वार्टर देशी शराब कीमत लगभग 680/— रूपये बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखी।
- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23/03/2014 को चौकी झॉकरी थाना मौ के प्रधान आरक्षक नेकराम शर्मा को इलाका गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने के लिए अंगसोली बस स्टेण्ड पर खड़ा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु आरक्षक सुनील कुमार के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचा, तो एक व्यक्ति सफेद थैला लिये दिखा, जो पुलिस को आता देखकर सकपकाने लगा, जिसे हमराही आरक्षक की मदद से घेरकर पंकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामस्वरूप पुत्र बन्नाम सिंह राजपत, निवासी :- बरेठी का होना बताया। आरोपी के आधिपत्य का थैला देखा तो उसमें देशी शराब के 17 क्वार्टर रखे पाये गये। आरोपी से उक्त शराब रखने एवं बेचने के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम की परिधि में होने के कारण आरोपी से मौके पर साक्षीगण के समक्ष शराब जब्त कर विधिवत जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी रामस्वरूप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् चौकी झॉकरी वापस आकर आरोपी के विरूद्ध जीरो पर अपराध कायम किया गया। उक्त जीरो की कायमी के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना मौ में असल अपराध क्रमांक 114 / 2014 अन्तर्गत धारा 34 आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण स्नील

कुमार एवं अवधेश के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा देशी शराब का परीक्षण कराया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध धारा 34 (01) (क) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी रामस्वरूप ने दिनांक :— 23/03/2014 की सुबह लगभग 08:30 बजे अंगसोली बस स्टेण्ड़ के पास सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से 17 क्वार्टर देशी शराब कीमत लगभग 680/— रूपये बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखी?
  - 02. अंतिम निष्कर्ष?

#### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

### विचारणीय बिन्दु कमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी नेकराम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2014 को चौकी झॉकरी थाना मौ पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दौरान—ए—गश्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने के लिए अंगसौली बस स्टेण्ड़ पर खड़ा है, सूचना की तश्दीक हेतु हमराह आरक्षक क्रमांक 190 सुनील कुमार के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे। साक्षी आगे कहता है कि तब एक व्यक्ति सफेद थैला लिये दिखा, जो पुलिस को देखकर सकपकाने लगा, जिसे हमराही आरक्षक की मदद् से पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामस्वरूप पुत्र बन्नाम सिंह राजपूत, निवासी:— बरेठी का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि थैला देखने पर उसमें देशी शराब के 17 क्वार्टर रखे पाये गये। आरोपी से उक्त शराब रखने एवं बेचने के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि तब आरोपी के कब्जे से 17 देशी क्वार्टर साक्षी सुनील कुमार एवं अवधेश के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी रामस्वरूप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात्

थाना वापसी पर आरोपी के विरूद्ध 0/14 अन्तर्गत धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट को असल कायमी हेतु थाना मौ भेज दिया गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा साक्षी सुनील कुमार एवं अवधेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, जिसमें कुछ भी बढ़ाया—घटाया नहीं था और जब्तशुदा क्वार्टर को सैम्पल को जांच के लिए मालनपुर भेजा था।

- 08. अभियोजन साक्षी आरक्षक सुनील कुमार अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 22/03/2014 को पुलिस चौकी झॉकरी थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक वह तथा प्रधान आरक्षक नेकराम शर्मा के साथ इलाका गश्त के लिए निकले थे। गश्त के दौरान दीवान जी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना की तश्दीक हेतु वह एवं दीवान जी अंगसौली बस स्टेण्ड़ पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास करने लगा तो उसे घेरकर उसने एवं दीवान जी ने पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामस्वरूप राजपूत होना बताया। आरोपी की उसके एवं अवधेश के सामने दीवान जी ने तलाशी ली तो उसके पास एक सफेद थेले में 17 देशी क्वार्टर शराब के मिले। आरोपी से उक्त शराब रखने एवं बेचने के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि दीवान जी ने सफेद थेले में रखे क्वार्टरों को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी रामस्वरूप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् अरोपी रामस्वरूप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 09. प्रधान आरक्षक नेकराम अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि आरोपी रामस्वरूप पुलिस को देखकर सकपकाने लगा, जबिक आरक्षक सुनील अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह कहना है कि आरोपी घटनास्थल पर पुलिस को आते देख भागने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार घटनास्थल पर पुलिस को आता देख आरोपी रामस्वरूप द्वारा क्या शारीरिक चेष्टा की गई, इस वावत् नेकराम अ.सा.03 एवं सुनील अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।
- 10. प्रधान आरक्षक नेकराम अ.सा.03 ने प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई जीरो वाली एफआईआर प्र.पी.04 में धारा, दिनांक एवं समय में ओवरराईटिंग है, जिस पर लघु हस्ताक्षर नहीं है। उक्त जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें घटना के समय, थाने पर सूचना प्राप्त होने के दिनांक एवं किस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, के संबंध में ओवर राईटिंग है, जिस पर कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है। उक्त ओवर राईटिंग क्यों की गई और यदि उक्त ओवर राईटिंग सद्भाविक त्रृटि की वजह से थी, तो वह ओवर राईटिंग तीन सीोनों पर

क्यों है, इस वावत् नेकराम अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उपरोक्त तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

- 11. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 05 में नेकराम अ.सा.03 का यह कहना है कि उसने सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद जब्ती की कार्यवाही की थी। जबिक अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में जब्ती का समय 08:35 बजे एवं गिरफ्तारी का समय 08:40 बजे का होना दर्शित होता है। जिससे यह प्रकट होता है कि पहले जब्ती की कार्यवाही की गई, उसके बाद गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। इस प्रकार नेकराम अ.सा.03 द्वारा कथित रूप से आरोपी से पहले शराब जब्त की गई, या उसे पहले गिरफ्तार किया गया, इस वावत् उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं उसके द्वारा बनाये गये जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।
- 12. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 05 में नेकराम अ.सा.03 का कहना है कि वह कस्बा भ्रमण पर निकलने से पहले रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि डालकर गया था। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रकरण में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा की कोई प्रति संलग्न नहीं है, ना ही उसे उक्त रोजनामचा का क्रमांक याद है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि प्रकरण में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की कोई प्रति तक संलग्न नहीं है। इसीलिए आरोपित घटना के समय प्रधान आरक्षक नेकराम अ. सा.03 का आरक्षक सुनील अ.सा.01 के साथ कस्बा गश्त पर निकले होने एवं आरोपित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होने का तथ्य संदेहास्पद होना प्रकट होता है।
- 13. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 06 में नेकराम अ.सा.03 का कहना है कि वह हाटना के पश्चात् 09:00 बजे थाना पहुँच गया था। जबकि नेकराम अ.सा.03 द्वारा लेखबद्ध की गई जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 में थाने पर घटना की सूचना प्राप्त होने का समय 10:30 बजे होना उल्लेखित है। इस प्रकार यदि प्रधान आरक्षक नेकराम अ.सा.03 09:00 बजे थाना वापस पहुँच गया था, तब थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय 09:00 बजे या उसके कुछ समय पश्चात् का होना चाहिए था, ना कि डेढ़ हाएटे पश्चात् 10:30 बजे का। यह तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।
- 14. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 05 में नेकराम अ.सा.03 का कहना है कि उसने साक्षीगण के कथन घटनास्थल पर ही लेखबद्ध किये थे। उल्लेखनीय है कि जिस समय आरोपी के विरूद्ध कोई अपराध ही पंजीबद्ध नहीं किया गया और विवेचना प्रधान आरक्षक नेकराम अ.सा.03 को सौंपी ही नहीं गई, तब घटनास्थल पर ही उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया जाना अभियोजन कथा की सत्यता को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

- 15. प्रधान आरक्षक नेकराम अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने कथित रूप से जब्तशुदा शराब को मौके पर ही सीलबंद किया था, अथवा नहीं और उसमें से कोई नमूना जांच हेतु लिया था, अथवा नहीं। उल्लेखनीय यह है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर इस वावत् कोई सील नमूना भी अंकित नहीं है। यह तथ्य भी अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।
- 16. आरक्षक सुनील अ.सा.01 ने उसके प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि जब आरोपी की तलाशी ली गई, उस समय उससे छुरी भी जब्त की गई थी। जबिक प्रधान आरक्षक नेकराम अ.सा.03 ने उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी से छुरी जब्त होने का कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी से शराब के साथ छुरी जब्त होने के संबंध में आरक्षक सुनील अ.सा.01 एवं नेकराम अ.सा. 03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।
- 17. अभियोजन साक्षी सुल्तान सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2014 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी झॉकरी से अपराध क्रमांक 0/14 अन्तर्गत धारा 34 आबकारी एक्ट की एफआईआर असल कायमी हेतु आरक्षक क्रमांक 190 सुनील कुमार ने लाकर पेश की, जिस पर से उसके द्वारा असल अपराध क्रमांक 114/2014 अन्तर्गत धारा 34 आबकारी एक्ट पजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेखबद्ध की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि प्रकरण की विवेचना हेतु एफआईआर प्रधान आरक्षक नेकराम शर्मा को सौंप दी गई थी। साक्षी सुल्तान सिंह अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा असल कायमी हेतु एफआईआर लेखबद्ध किये जाने के संबंध में प्रति—परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है।
- 18. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी अवधेश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के कमशः सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी रामस्वरूप से कोई शराब जब्त होने का तथ्य और आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रामस्वरूप ने दिनांक :— 23 / 03 / 2014 की सुबह लगभग 08:30 बजे अंगसोली बस स्टेण्ड़ के पास सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से 17 क्वार्टर देशी शराब कीमत लगभग 680 / रूपये बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखी।

### अंतिम निष्कर्ष

- 20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी रामस्वरूप के विरूद्ध धारा 34 (01) (क) आबकारी अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रामस्वरूप को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (01) (क) से दोषमुक्त किया जाता है।
- 21. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 22. प्रकरण में जब्तशुदा 17 देशी क्वार्टर शराब मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद